



एम्स/राजकोट/प्रशासन/परिपत्र/2024-25/1143

दिनांक: 18/02/2025

परिपत्र

विषय: एम्स, राजकोट में दिव्यांग महिलाओं के लिए शिशु देखभाल भत्ते की बढ़ी हुई दर प्रदान करना।

संदर्भ: सं. ए-27012/01/2023-कार्मिक नीति (भत्ता), भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 25 अप्रैल, 2024।
उपर्युक्त संचार में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में, दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ते की बढ़ी हुई दर प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

1. शिशु देखभाल के लिए विशेष भत्ता:

- उपयुक्त दिशा-निर्देशों में परिभाषित दिव्यांग महिलाएं, ₹ 3750/- (तीन हजार सात सौ पचास रुपये) प्रति माह की दर से शिशु देखभाल के लिए विशेष भत्ते की हकदार होंगी।
- यह भत्ता बच्चे के जन्म के समय से लेकर दो साल का होने तक दिया जायेगा।

➤ दिव्यांग महिलाओं के लिए शिशु देखभाल भत्ते की संशोधित दरें:

| क्र. सं. | भत्ता | मौजूदा दरें (₹.) (प्रति माह निर्धारित दर) | संशोधित दरें (₹.) (प्रति माह निर्धारित दर) |
|----------|---|---|--|
| 01 | दिव्यांग महिलाओं के लिए शिशु देखभाल भत्ता | 3,000/- | 3,750/- |

2. बच्चों की अधिकतम सीमा:

- यह भत्ता लाभार्थी के अधिकतम दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए दिया जाएगा।

3. पात्रता मापदंड

- इस भत्ते के प्रयोजन, कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16-18/97-दिनांक 1 जून 2001 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, दिव्यांगता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी न्यूनतम विकलांगता 40% है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि:

- कार्यकारी निदेशक, एम्स - राजकोट को सूचनार्थ
- प्रशासनिक/लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
- डीडीओ, एम्स राजकोट
- समस्त संकाय सदस्यगण, एम्स - राजकोट
- आईटी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



(डॉ. कुलदीप जी बी)
स्थानाभिपत्र उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यवाहक उप निदेशक (प्रसा.)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - ३६० ००१, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001. Gujarat.

स्थायी परिसर: ग्राम खंडेरी, तहसील- पडधरी, जिला राजकोट 360110

dda.aiimsrajkot@gmail.com